

**ग्राम पंचायत करेवथी, विकास खण्ड नारकण्डा, जिला शिमला, के लेखाओं का अंकेक्षण
एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

1 प्रस्तावना:—

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत करेवथी, विकास खण्ड नारकण्डा, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:—

प्रधान

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री जोगिन्द्र कश्यप	01.04.2014 से 22.01.2016
2	श्रीमती अन्नता कंवर	23.01.2016 से लगातार
सचिव		
क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री ज्ञान चन्द	1.4.2014 से 31.3.2017

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:—

ग्राम पंचायत करेवथी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	6	पंचायत निधि की वसूली न करना	0.67
2	7	रोकड़ बही में लेखाकिंत प्राप्त आय के सम्बन्ध में रसीद इत्यादि जारी न करना	12.83
3	8	विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्य, मस्ट्रोल भुगतान हेतु की राशि का भुगतान नकद रोकड़ में किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना	4.88

4	9	दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान का उपयोग न किया जाना	18.54
5	10	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही अनियमित व्यय किया जाना	3.89
6	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	4.12
7	13	क्रय की गई स्थाई एवं अस्थायी मदों की भण्डार रजिस्ट्रों में प्रविष्टि न करना	1.74
8	14	वाउचरों की सत्यापित किए बिना ही अनियमित भुगतान करना	0.76
9	16	विभिन्न वाउचरों को अंकक्षण में प्रस्तुत न करना	1.36

2 वर्तमान अंकक्षण:—

ग्राम पंचायत करेवथी, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकक्षण श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 29.8.2017 से 4.9.2017 के दौरान ग्राम पंचायत करेवथी में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2014—15	7 / 2014	8 / 2014
2015—16	3 / 2016	10 / 2015
2016—17	8 / 2016	3 / 2017

इस अंकक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकक्षण शुल्क:—

ग्राम पंचायत करेवथी, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकक्षण हेतु अंकक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा

विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 531/2017 दिनांक 4.9.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत करेवथी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत करेवथी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार MG NREGA & Intergrated Water Shed Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और स्वयं स्रोत की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में खाता बहियों का निर्माण नहीं किया गया। खाता बही न बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और स्वयं स्रोत की आय, व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न "परिशिष्ट-1" पर दिया गया है।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न किया जाना:-

ग्राम पंचायत करेवथी की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 पंचायत राजस्व की ₹0.67 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

पंचायत की स्वः स्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-2 में दिये गये विवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक राजस्व ₹67040 वसूली हेतु शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

7 रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय ₹12.83 लाख के सम्बन्ध में रसीद इत्यादि जारी न किया जाना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार जब कभी भी पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की आय प्राप्त की जायेगी उस स्थिति में सचिव द्वारा फार्म-3 में उस प्राप्ति के बदले में रसीद जारी किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न दिये गये विवरण अनुसार अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान ₹1283123 की प्राप्त आय के बदले में सचिव द्वारा कोई रसीद जारी नहीं की गई थी। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये प्राप्त आय के बदले में रसीद जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Date of Receipt	Cash Book Page No.	Amount	From Where	Amount Received
22.7.2014	24	150000	B.D.O. Narkanda	
15.3.2016	12	98000	B.D.O. Narkanda	
15.3.2016	12	192000	B.D.O. Narkanda	
15.3.2016	12	46295	D.P.O. Shimla	
21.3.2016	12	205867	D.P.O. Shimla	
24.8.2016	17	200000	D.P.O. Shimla	
31.8.2016	17	290961	D.P.O. Shimla	
22.8.2016	17	100000	B.D.O. Narkanda	
Total		1283123		

8 विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों, मस्ट्रोल इत्यादि के भुगतान हेतु ₹4.88 लाख का भुगतान नकद रोकड़ में किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17 (2) के अनुसार ₹1000 से अधिक राशि का भुगतान बैंक चैक द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्ययों वाउचरों, बैंक पास बुकों और चैक बुकों की Counterfoils की पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹488248 के व्यय वाउचरों/मस्ट्रोलों का भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता को न करके पंचायत प्रधान को किया गया दर्शाया गया था। जाँच में यह भी पाया गया कि व्यय वाउचरों पर तो भुगतान बैंक चैक संख्या अंकित करके बैंक चैक द्वारा ही दर्शाया गया था। जबकि बैंक

पास बुकों और चैक बुकों की Counterfoils के अनुसार सभी बैंक चैक पंचायत प्रधान के नाम जारी किए गए थे, ऐसे सभी भुगतानों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट-3** पर दिया गया है। बैंक चैक को सम्बन्धित व्यक्ति के नाम जारी न करके अपितु पंचायत प्रधान के नाम करने से भुगतान की गई राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः नियमों की अनदेखी करके भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता व्यक्ति को न करके पंचायत प्रधान और पंचायत सदस्यों व पंचायत सचिव के नाम जारी किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इन सभी भुगतानों की सत्यता की पड़ताल विभागीय तौर पर की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सभी भुगतान सीधे प्राप्तकर्ता के नाम जारी बैंक चैक से ही किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

इस सन्दर्भ में जारी अध्याचना संख्या 529/2017 दिनांक 30.8.2017 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 06 दिनांक 30.8.2017 से सचिव, ग्राम पंचायत करेवथी द्वारा सूचित किया गया कि ज्यादातर भुगतान मजदूरों को किए गए थे, जिनके बैंक खाते नहीं थे। भविष्य में सभी भुगतान सम्बन्धित व्यक्तियों को ही किए जायेंगे।

8 बजट प्राक्कलन तैयार न करना:—

फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म-11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

10 अनुदान की ₹18.54 लाख का उपयोग न करना:—

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्वः स्रोतों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट-4** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक कुल ₹1853884 उपयोग हेतु शेष थे। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापण संस्था को किया जाए।

11 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹3.89 लाख का अनियमित व्यय करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-5"** में दिये गये विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹388784 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इसके अतिरिक्त किसी भी निष्पादित किये कार्य को माप पुस्तिका में दर्ज न करना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए तथा सभी कार्यों की प्रविष्टि माप पुस्तिका में दर्ज न करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाये।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.12 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट-6"** में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹411682 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी पाया गया कि भवन निर्माण सामग्री की खरीद जैसे कि पत्थर की खरीद चट्टे में और रेत की खरीद गाड़ी की संख्या के आधार पर की गई थी। जबकि नियमानुसार इन सभी मदों की खरीद घन मीटर एवं घन फुट में की जानी अपेक्षित थी तथा खरीद की गई सामग्री की प्रविष्टि माप पुस्तिका में दर्ज की जानी अपेक्षित थी।

तथा खरीद की गई सामग्री की प्रविष्टि माप पुस्तिका में दर्ज की जानी अपेक्षित थी। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

13 क्रय की गई ₹1.74 लाख की स्थाई एवं अस्थायी मदों की भण्डार रजिस्ट्रों में प्रविष्टियाँ न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72 (1) (a, b,c, एवं d) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा क्रय की गई मदों को उसकी स्थाई एवं अस्थायी प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान क्रय की गई **परिशिष्ट-7** के अनुसार ₹174386 की विभिन्न मदों, को क्रय करने के उपरान्त भण्डार रजिस्ट्रों में दर्ज नहीं किया गया था, क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन न किए जाने के कारण क्रय की गई सामग्री की खपत की जाँच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः क्रय की गई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन न किए जाने बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

14 अनिवार्य औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.76 लाख का भुगतान करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49 (1), (2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा किए गए सभी प्रकार के भुगतान को ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित किया जायेगा। अंकेक्षण में अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान ₹76300 के भुगतान बिलों की जाँच करने में पाया गया कि भुगतान जिनका विवरण **"परिशिष्ट-8"** में दिया गया है, को ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था और न ही भुगतान बिल पर पंचायत प्रस्ताव संख्या अंकित की गई थी, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 मानदेय के रूप में ₹975 का अधिक भुगतान:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62 (2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के बदले में मानदेय का भुगतान किया जायेगा, यदि कोई निर्वाचित

सदस्य ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थित नहीं होता तो उसे उस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय भुगतान और ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Register) की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में निर्वाचित सदस्यों को मानदेय का ₹975 का अधिक भुगतान किया गया था। (विवरण निम्न दिया गया है) अतः बिना सभा में उपस्थिति के निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा भुगतान की गई मानदेय की राशि की वसूली सम्बन्धित सदस्य की जानी सुनिश्चित की जाए।

Excess payment of Honorarium to Panchayat Members.

Name of Member	Date of Meeting for which payment was made	Amount Paid	Remarks
Smt. Pushpa	19.12.2016	150	Member was absent as per Minutes Book
Smt. Reema	16.10.2014	150	Member was absent as per Minutes Book
Sh. Jagdish	28.1.2015	150	Member was absent as per Minutes Book
Sh. Harish	28.8.2016	175	Member was absent as per Minutes Book
Smt. Aruna	10.10.2016	175	Member was absent as per Minutes Book
Smt. Aruna	29.11.2016	175	Member was absent as per Minutes Book
Total		975	

16 ₹1.37 लाख के भुगतानों के सन्दर्भ में वाउचर/अभिलेख इत्यादि उपलब्ध न करवाना

अंकेक्षण अवधि के दौरान किए गए ₹136570 के विभिन्न भुगतान, जिनका विवरण परिशिष्ट-9 पर दिया गया है, अंकेक्षण दल को आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए। इस सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत को इन सभी व्यय वाउचरों को आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत करने बारे आग्रह किया गया था। परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई सूचना अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं की गई। अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

17 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक

है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15 (1)
5	विभिन्न अनुदानों के खाते (Ledgers)	7	29 (1)
6	वर्गीकृत सार (Classified Abstract)	8	29 (4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72 (1) (a & b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95 (1)

18 प्रत्यक्ष सत्यापन:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 विविध अनियमितताएं:—

(i) रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न किया जाना:—

ग्राम पंचायत करेवथी द्वारा हिमाचल प्रदेश राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत में रोकड़ बही में हस्तगत राशि के साथ सम्बन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। अतः सभी रोकड़ बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न किए बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेखों की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान मनरेगा से सम्बन्धित प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को

रोकड़ बही में लेखाकिंत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त लेन-देन जिलाधीश कार्यालय, शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर किया गया था। परन्तु सभी बिल वाउचर पंचायत कार्यालय में उपलब्ध होते हैं तथा रोकड़ बही भी पंचायत स्तर पर ही संधारित की जानी है। अतः उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा आगामी अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाये।

(iii) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म-7 पर खाता बहियों में किया जाना अपेक्षित था, परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अतः नियम 29 (1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iv) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म-8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण किया जाना अपेक्षित था, परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म-8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण नहीं किया गया था। वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय का बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अतः नियम 29 (4) के अनुसार वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(v) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत करेवथी द्वारा नहीं बनाई गई थी। अतः नियम 93 (ए) (1) के

अन्तर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(vi) ग्राम पंचायत की आय से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत करेवथी द्वारा आय संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं? अतः आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही रसीदों को जारी करते समय इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

20 लघु आपत्ति विवरणिका:— लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपत्तियों का निपटारा अंकक्षण के दौरान कर लिया गया।

21 निष्कर्ष:— लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं०-0177 2620881

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(i) 71/2017-खण्ड-1-6916-6919 दिनांक 25.11.2017 शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला, हि0प्र0
- पंजीकृत** 4 सचिव, ग्राम पंचायत करेवथी, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं०-0177 2620881

